एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय

(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर **452001** (म.प्र.)

(चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से अनुमति तथा म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त)

Website:- www.mahsimgm.in फोन : 0731–2528516, फैक्सः 0731–2514328, **E-mail:- mahsimgm@gmail.com**

सह–चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र

स्ववित्त–पोषित पाठ्यक्रम

निर्देशिका एवं आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र **2023-24**

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट **(MAHSI)**

के.ई.एच.कम्पाउण्ड, टी.बी. हॉस्पीटल के पास,

एम.वाय. हॉस्पीटल परिसर, इन्दौर, (म.प्र.) : **452001**

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट,(MAHSI)

महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर

सह–चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त–पोषित पाठ्यक्रम

महत्वपूर्ण तिथियॉ/सूचना

क्र.	सूचना	तिथियां
1.	नियम–निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट www.mahsimgm.in पर उपलब्ध होने की अवधि	21–12–2023 से 22–01–2024 तक
2.	संस्था की वेबसाइट www.mahsimgm.in पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संस्था कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अवधि सायं 4.00 बजे तक)	22–01–2024
3.	प्रावीण्य सूची की घोषणा (वेबसाइट www.mahsimgm.in पर एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर)	27–01–2024
4.	प्रकाशित योग्यता (प्रावीण्य / मेरिट लिस्ट) सूची से संबंधित प्रश्न, यदि कोई हो तो, संस्था कार्यालय अथवा ईमेल आई.डी. www.mahsimgm@gmail.com पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (अवधि सायं 4.00 बजे तक)	29–01–2024
5.	प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया की प्रस्तावित तिथियाँ (स्नातक/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स हेतु)	02–02–2024 से 05–02–2024
6.	प्रवेशित पाठ्यक्रमों में संबंधित विभागों/चिकित्सालयों में नियमित कक्षाएॅ प्रारंभ होने की तिथि	12–02–2024

नोटः उक्त प्रवेश प्रक्रिया म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद, भोपाल द्वारा सत्र 2023–24 हेतु जारी की जाने वाली स्वीकृति /अनुमति के अधीन होगी।

आवेदन शुल्क :–

आवेदक को आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क राशि **रु. 800/–** (सामान्य वर्ग) एवं **रु. 500/–** आरक्षित वर्ग (ST, SC, OBC) हेतु , आनलाइन माध्यम से संस्था की वेबसाइट www.mahsimgm.in पर एवं ऑफलाइन माध्यम से संस्था कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक शुल्क के बिना प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा जिसके लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :–

- वेबसाइट www.mahsimgm.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय समस्त वांछित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है, इसी प्रकार संस्था में ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय वांछित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। काउंसलिंग के समय मूल दस्तावेज जमा करने होंगे।
- उक्त तिथियों/प्रक्रिया में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना संस्था के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट www.mahsimgm.in पर प्रसारित की जावेगी।
- नियमों/विनियमों/सीट विवरण में परिवर्तन की सूचना पृथक से न दी जाकर वेबसाइट www.mahsimgm.in एवं संस्था के नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी।
- काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई अलग से कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, आवेदक को अपनी योग्यता सूची संख्या के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा अन्यथा आवेदक का प्रवेश संबंधी अधिकार/दावा स्वमेव समाप्त हो जावेगा।
- प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये काउंसिलिंग शुल्क राशि **रु. 600/– पृथक से** जमा करवाने होंगे। भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।
- प्रवेश प्रक्रिया और संबद्ध एलाइड हेल्थ/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट www.mahsimgm.in नियमित रूप से देखें।

गोपाल चन्द्र डाड
आई.ए.एस.
आयुक्त

अर्द्ध.शा.पत्र क./1658/स्था/राज
कार्यालय आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग
सतपुड़ा भवन, छठवीं मंजिल, भोपाल462004
दूरभाष 0755 – 2551719
E-mail - commissionerme1994@gmail.com

दिनांक. 22/12/2023

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की प्रथम शासकीय एलाइड हेल्थ संस्था एमजीएम एलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI), एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज, इन्दौर अग्रणी संस्था है एवं संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

देश में एलाइड हेल्थ कार्मिकों की कमी को पूरा करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में 'नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन्स एक्ट 2021' बनाया गया है, जिसके उपरांत सम्पूर्ण देश में उच्च गुणवत्ता एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग से समृद्ध एलाइड हेल्थ कार्मिक ना सिर्फ देश की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अपितु वसुधैव कुटुम्बकम् के पर्याय को भारत एक विश्व गुरु के रूप में सम्पूर्ण विश्व में सफल स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में योगदान दे रहा है।

प्रगतिशील भारत देश में स्वास्थ्य सेवाएँ विजन 2047 के अनुसार HEAL IN INDIA to HEAL BY INDIA की दिशा में अग्रसर है, जिसके लिए निश्चित तौर पर कुशल प्रशिक्षित चिकित्सकों के साथ–साथ उच्च कुशल एलाइड हेल्थ कार्मिकों की आवश्यकता है, जिसे निश्चित तौर पर एमजीएम एलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI) जैसी संस्थाओं के योगदान से पूरा किया जा सकेगा।

संस्था एमजीएम एलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI) में आगामी सत्र के प्रवेशार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ।

गोपाल चन्द्र डाड
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग
म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.)

मालसिंह

भा.प्र.से.

आयुक्त

इन्दौर संभाग, इन्दौर

दूरभाष कार्यालयः 0731–2435111

दूरभाष निवासः 0731–2700888

ई–मेलः commindore@nic.in

दिनांक : 15– 12 – 2023

संदेश

अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स मरीजों को स्वतंत्र रूप से जीने, देखभाल एवं सहायता में महती भूमिका निभा रहे हैं। मरीजों की देखभाल सिर्फ दवा तक ही सीमित नहीं है बल्कि समर्पित देखभालकर्ता एवं दक्ष अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा उच्च गुणवत्ता एवं व्यक्तिगत देखभाल द्वारा मरीजों को सक्षम बनाना है।

अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन स्वास्थ्यकर्मियों का एक विशिष्ट समूह है, जो सभी उम्र और विशिष्टताओं के लोगों में रोग संचरण को रोकने, निदान, उपचार एवं पुनर्वास के लिए अपनी विशेषता का उपयोग करते है।

भारत सरकार द्वारा नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स (NCAHP) 25 मई, 2021 को लागू किया जा चुका है, जिससे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को विनियमित किया जाना है।

परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग भारत सरकार की योजना के तहत वर्ष 2018 में स्थापित संस्था एमजीएम अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की अग्रणी एवं प्रमुख अलाइड हेल्थ संस्था है. जिसमे वर्तमान में 17 पाठ्यक्रमों में लगभग 1400 छात्रों को अलाइड हेल्थ प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। संस्था से उत्तीर्ण छात्र देश–विदेश में प्रदेश की ख्याति बढ़ा रहे हैं।

आगामी सत्र में प्रवेशार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।

(मालसिंह)
आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशाषी संस्था)
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महविद्यालय , इंदौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :– 071–2528516 ईमेल :– **dean.ind@mp.gov.in**

वेबसाइट :– **www.mgmmcindore.in**

संदेश

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य देश का एक अत्यंत गौरवमयी परंपरा को निभानेवाला संस्थान है जिसे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल विषयों के छात्रों को सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लगभग 66 वर्ष पूर्व 1878 में स्थापित किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल का उन्नयन कर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस गौरवमयी इतिहास में महाराजा यशवंत चिकित्सालय, कैंसर चिकित्सालय, दंत चिकित्सालय, मनोरमा राजे टी.वी. चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महाराजा तुकोजीराव चिकित्सालय एवं स्कूल ऑफ एक्सीलेस फॉर आई आदि महत्वपूर्ण संस्थाए सम्मिलित रही हैं। इस श्रृंखला में 1997 से चरणबद्ध तरीके से सह चिकित्सीय पाठचक्रम के अतर्गत क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र का प्रबंधन एवं संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं सह चिकित्सा का विस्तार करते हुए वर्ष 2018 में एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI) का गठन करते हुए विभिन्न सह चिकित्सकीय पाठ्यक्रम प्रारभ किये गये एवं हर वर्ष नये पाठ्यक्रम शुरू किये जाते रहे है। इस वर्ष संस्थान में सात स्नातकोत्तर, चार स्नातक, पाँच डिप्लोमा एवं एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। संस्था में अध्ययनरत छात्राओं के लिये छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।

संस्था MAHSI का Collaboration मैनचेस्टर मेट्रोपोलीटन यूनिर्वसिटी, मैनचेस्टर, इंग्लैंड के साथ हो चुका है. जिससे संस्था में प्रवेशित छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षण तकनीक एवं शोध कार्यों का लाभ मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओ का प्रबंधन एवं संचालन सह–चिकित्सीय कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टाफ) के बिना संभव नहीं है।

संस्था MAHSI में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी आकांक्षियों को उज्जवल भविष्य के लिये बहुत बहुत शुभकामनाएं।

डॉ संजय दीक्षित, MD, PhD
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

MGM ALLIED HEALTH SCIENCES INSTITUTE (MAHSI)

MGM MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS SOCIETY, INDORE (M.P.)

(Permitted by Dept. of Medical Education, Govt. of M.P., Affiliated to MP Medical Science University, Jabalpur, M.P.)

WEBSITE- www.mahsimgm.in Email: mahsimgm@gamil.com Ph. No. 0731-2528516

Message

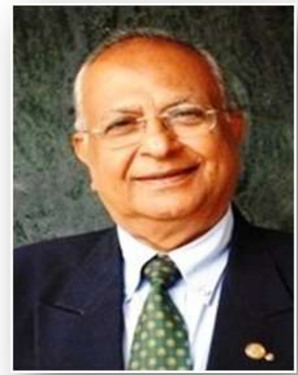

MAHSI is shortly starting admission process for the academic session 2023-24 and we extend a heartful welcome to the students of PG, UG Degree , Diploma & Certificate Courses.

The health care delivery system is advancing at a rapid pace in India and worldwide and to keep abreast with the evolving need, it is our endeavour at MGM Allied Health Science Institute (MAHSI) to inculcate the best clinical and human values in the students, enabling them to stand apart in today's health care world.

The academic ambience, senior professors and researchers of MGM Medical College, M.Y. Hospital & Associated Hospitals provide a great learning experience to our students which make them excel in their respective domain.

The institute is presently running 17 UG, PG Degree, Diploma and certificate courses imparting allied healthcare education to around 1400 students .The institute is having 320 bedded Girls Hostel with requisite amenities in Residency area-Indore . The institute has entered into collaboration with 'Manchester Metropolitan University', Manchester (U.K.) which would help in exchange of research, students mobility of both organizations, Collaborative online international learning, faculty exchange along with development of international research projects.

The institute is continuously striving on the path of excellence since its inception and is opening new domains for upgradation of knowledge and service to the society. Institute has started advanced sports injury rehabilitation center for advancement of sports rehabilitation training of the students.

Wishing you a bright future

Dr. D.K. Taneja

D. Orth, M.S. Ortho, F.A.M.S., F.R.C.S. (Eng.), FIOA

Founder Director

MGM Allied Health Sciences Institute, (MAHSI)

Former Dean, MGM Medical College, Indore (M.P.)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मंदिर रोड़, भोपाल

Message

The Madhya Pradesh Paramedical Council is very pleased that MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), MGM Medical College, Indore has been running 17 different postgraduate, undergraduate, diploma and certificate courses with approximately 1400 student strength are commencing admissions for new academic session 2023-24.

MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), along with very efficient academic and clinical staff enrich their students with tremendous professional skills and motivate them to work with patience, zeal and dedication for patient care hence benefitting the community at large. I am sure that students of the institute will be very efficient allied health care professionals in future and hence an asset to the society

The MP Paramedical Council always supports institute vision for further progress and extends best wishes for faculty, staff and students for great success ahead.

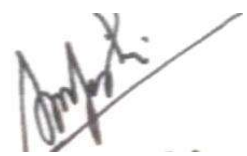

Dr. Sheloj Joshi
MBBS,MD,DHM (N.I.H.F.W)
Registrar
MP Paramedical Council, Bhopal (M.P.)

Message

MAHSI - a story of strong professional vision , excellence and perseverence , has been created with a vision to provide trained specialised Allied Health care professionals to the society. The students are being provided with the required infrastructure for the best training facilities in the field of Allied Health Care .

The students are posted for clinical practical training at Associated Hospitals of Govt. MGM Medical College (Autonomus Society) ; Maharaja Yeshwant Rao Hospital (M.Y.H.) , MGM Superspeciality Hospital, School of Excellence for Eye, Chacha Nehru Balchikitsalaya (C.N.B.C.) , Maharaja Tukojirao Hospital (M.T.H.), Manorama Raje T.B. (MRTB) Hospital, Govt. Cancer Hospital and Govt. Mental Hospital -Indore .

The institute has also signed an MOU with Manchester Metropolitan University (U.K.) which would serve as a platform for student and faculty exchange as well as research studies.

My best wishes to all the students for a bright professional career and to the staff and faculty for growth and progress of the institute.

Anita Mutha

Dr. Anita Mutha (M.D.)
Professor Department of Microbiology
& Chief Coordinator Paramedical Courses
MAHSI: MGM Medical College , Indore (M.P.)

MGM ALLIED HEALTH SCIENCES INSTITUTE (MAHSI)
MGM MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS SOCIETY, INDORE (M.P.
(Permitted by Dept. of Medical Education, Govt. of M.P., Affiliated to MP Medical Science University, Jabalpur, M.P.)
WEBSITE- www.mahsimgm.in Email: mahsimgm@gamil.com Ph. No. 0731-2528516

Message

The first MP state "School of Physiotherapy" was established in the Year 1997, which merged into MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI) in the Year 2018. The institute caters to around 1400 students and 17 different Allied Health Post-graduate, Undergraduate Degree, Diploma and Certificate courses.

The students of the institute are getting clinical & academic exposure at various departments and hospitals in the various associated hospitals of Govt. MGM Medical College i.e.- M.Y. Hospital, Maharaja Tukorao Hospital, Chacha Nehru Bal Chikitsalay , Govt. Cancer Hospital, M.R.T.B. Hospital, Manorog Chikitsalaya , MGM Superspeciality Hospital, School of Excellence for Eye. The institute is pioneer and leader in imparting Allied Health Science education in central India.

The phenomenal growth of the institute makes me feel proud.The institute has done International Academic collaboration with Manchester Metropolitin University-UK for development of global standards in research and academics in allied health education including faculty & students exchange programme. The institute is having ultramodern facilities such as smart class rooms, Hi-tech labs, best resourceful allied health library of the state, well furnished girl's hostel.

Since the year 1997, the institute has groomed more than 3000 students who are serving across globe in the allied health sector and presently the institute has emerged as the first and largest Govt. Allied Health Institute of the state.

I welcome the students for joining the institute for their bright future in Allied Health sector. I am sure that the young Allied Health care professionals will constantly improve their knowledge and skills and impart effective care to the patients and community health .

(Dr.Ramhari Meena)
Principal
MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI)
MGM Medical College,Indore (M.P.)

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड,इन्दौर 452001 (म.प्र.)

संरक्षक

श्री मोहम्मद सुलेमान (IAS)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.

श्री गोपाल चन्द्र डाड (IAS)
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल

श्री मालसिंह (IAS)
संभागायुक्त, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

डॉ. अरूण कुमार श्रीवास्तव (MD)
संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल

डॉ. डी.के. तनेजा,
D. Orth, M.S. Ortho, F.A.M.S., F.R.C.S. (Eng.), FIOA
पूर्व अधिष्ठाता महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
संस्थापक निदेशक एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ सांइसेस इंस्टीट्यूट
इन्दौर

डॉ. संजय दीक्षित
MD,PhD
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड,इन्दौर 452001 (म.प्र.)

उच्च स्तरीय समन्वय समिति

मुख्य समन्वयक, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	:	डॉ. अनिता मूथा, प्रोफेसर,माईक्रोबायलॉजी विभाग
पाठ्यक्रम सलाहकार	:	डॉ. एस. बी. बंसल, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग
	:	डॉ सलिल साकल्ले, प्रोफेसर, पी एस एम मेडिसिन विभाग
	:	डॉ. अशोक पंचोनिया, प्रोफेसर, पैथालॉजी विभाग
	:	डॉ. रामहरी मीणा, प्राचार्य, MAHSI

: संबद्ध चिकित्सालय एवं अधीक्षक :

महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर
शासकीय कैंन्सर हास्पिटल	:	डॉ. रमेश आर्य
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	:	डॉ. प्रिती मालपानी
मानसिक चिकित्सालय	:	डॉ. वी.एस.पाल
मनोरमा राजे क्षय रोग चिकित्सालय	:	डॉ. संजय अवासिया
एम.टी.एच. चिकित्सालय	:	डॉ. पी.एस.ठाकुर
एम.जी.एम.सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल	:	डॉ. सुमित शुक्ला
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फार आई	:	डॉ. डी.के. शर्मा

संबधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष

एनाटॉमी विभाग	:	डॉ. अमीत जुल्का
फिजियोलॉजी विभाग	:	डॉ. अजय भट्ट
बायोकेमेस्ट्री विभाग	:	डॉ. पुर्णिमा डे सरकार
पैथोलॉजी विभाग	:	डॉ. मीना मित्तल
माईक्रोबायलॉजी विभाग	:	डॉ. शशि गांधी
फार्माकोलॉजी विभाग	:	डॉ. पुजा सोलंकी
नेत्ररोग विभाग	:	डॉ. प्रीति रावत
सर्जरी विभाग	:	डॉ. मनीष कौशल
स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग	:	डॉ. सुमित्रा यादव
मेडिसिन विभाग	:	डॉ. धर्मेन्द्र झंवर
रेडियोडाइग्नोसिस विभाग	:	डॉ. अल्का अग्रवाल
अस्थिरोग विभाग	:	डॉ. आनंद अजमेरा
नाक कान गला विभाग	:	डॉ. यामिनी गुप्ता
सामुदायिक चिकित्सा विभाग	:	डॉ. संजय दीक्षित
एनेस्थिसिया विभाग	:	डॉ. मनीष बंजारे
फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड,इन्दौर 452001 (म.प्र.)

प्राठ्यक्रम प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक

मुख्य समन्वयक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम : डॉ. अनीता मुथा, प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम समन्वयक
स्नातक पाठ्यक्रम				
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	फिजियोथेरेपी	डॉ.विजय कौशिक (शिक्षण समन्वयक)	
2.	बैचलर ऑफ आक्यूपेश्नल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	आक्यूपेश्नल थेरेपी	डॉ.सविता चौहान	
3.	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन(बी.एक्स.आर.टी.)	रेडियोलॉजी	डॉ.अलका अग्रवाल	डॉ.सौरभ अतराम
4.	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (बी.एम.एल. टी.)	माइक्रोबायोलॉजी	डॉ. शशि गाँधी	डॉ.मनीष पुरोहित
डिप्लोमा पाठ्यक्रम				
5.	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन	मेडिसीन	डॉ. धर्मेन्द्र झंवर	डॉ. शिवशंकर शर्मा
6.	डिप्लोमा इन आप्थेल्मिक असिस्टेन्ट टेक्निशियन	नेत्र रोग	डॉ.प्रीति रावत	डॉ. नीतू कोरी
7.	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	रेडियोथेरेपी	डॉ. रमेश आर्या	डॉ. ओ.पी. गुर्जर
8.	डिप्लोमा इन कैथ लेब टेक्निशियन	कॉर्डियोलॉजी	डॉ. ए.डी. भटनागर	डॉ.लोकेन्द्र रेकवाल
9.	डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री रिफ्रेक्शन	स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फार आई	डॉ.प्रतीप व्यास	डॉ. मीता जोशी
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम				
10.	सर्टीफिकेट इन ओ.टी.टेक्निशियन	सर्जरी	डॉ.मनीष कौशल	डॉ.अभय ब्रह्माने

About the Course…

DEGREE COURSES

Bachelor of Physiotherapy (BPTh):- *Available Seats = 100*

Physiotherapists assess, plan and implement rehabilitative programs that improve or restore human motor functions, maximize movement ability, relieve pain syndromes, and treat or prevent physical challenges associated with injuries, diseases and other impairments. They apply a broad range of physical therapies and techniques and implement programmes for screening, prevention and treatment of many physical ailments and disorders.

SCOPE:- Physiotherapy is an essential part of the health and community/welfare services delivery system. Physiotherapists practice independently of other health care/service providers and also within multidisciplinary rehabilitation/habilitation programmes to prevent, gain, maintain or restore optimal function and quality of life in individuals with loss and disorders of movement.

Physiotherapists are guided by code of ethical principles. Thus, they may be concerned with any of the following purposes:

1. Promoting the health and well-being of individuals and the general public/society, emphasizing the importance of physical activity and exercise.

2. Preventing impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities in individuals at risk of altered movement behaviours due to health or medically related factors, socio-economic stressors, environmental factors and lifestyle factors.

3. Providing interventions/treatment to restore integrity of body systems essential to movement, maximize function and recuperation, minimize incapacity, and enhance the quality of life, independent living and workability in individuals and groups of individuals with altered movement behaviors resulting from impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities

4. Modifying environmental, home and work access and barriers to ensure full participation in one's normal and expected societal roles

Physiotherapists may also contribute to the development of local, national and international health policies and public health strategies.

Settings in which physiotherapy is practiced

Physiotherapy is delivered in a variety of settings which allow it to achieve its purpose. Prevention, health promotion, treatment/intervention, habilitation and rehabilitation take place in multiple settings that may include, but are not confined to, the following:

1. Community based rehabilitation programmes 2. Community settings including primary health care centres, individual homes, and field settings 3. Education and research centres 4. Fitness clubs, health clubs, gymnasia and spas 5. Hospices 6. Hospitals 7. Nursing homes 8. Occupational health centres 9. Out-patient clinics 10. Physiotherapist private practices, clinics 11. Prisons 12. Public settings for health promotion 13. Rehabilitation centres and residential homes 14. Schools, including pre-schools and special schools 15. Senior citizen centres 16. Sports centres/clubs 17. Workplaces/companies

(**Source :** Model Curriculum Handbook PHYSIOTHERAPY Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India)

Bachelor of Occupational Therapy (BOTh):- *Avaliable Seats = 40*

Occupational Therapy is a health related profession that deals with therapeutic management of various neuromuscular, musculoskeletal dysfunctions and mental disorders including mental retardation. An Occupational therapist is able to assess, correct or alleviate dysfunctions in terms of human activities. They can help in rehabilitation of children or persons with locomotor impairments, mental retardation or mental illnesses.

SCOPE-

- Hospital set up , Rehabilitation centre, School for disabled children
- De-addiction Centres
- Psychiatric clinics
- Centre for mentally retarded
- Child development centres
- Industrial Medical Facilities
- Private Practice
- Geriatric Homes/ Old age Homes
- Social services and council departments.

Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT):- *Avaliable Seats = 50*

Bachelor in Medical Laboiratory Technology course is a 3 years undergraduate course that involves study related to detection, treatment and diagnosis of diseases with the help of clinical laboratory test. The graduates of BMLT Course can opt for the jobs including medical technicians lab technologists, etc. and are in huge demand in today's medical sector. A candidate can choose to work as research scholar / scientist or in research and development laboratories. The medical technology field include areas such as blood banks , clinical chemistry, heamatology , immunology, microbiology, urine analysis and blood sampling, etc.

Scope-

Hospitals, Nusing Homes, Corporate Hospitals, Medical Colleges

Bachelor in Radiographer Technician(BXRT):- **Avaliable Seats = 25**

Radiography is the science of taking images of the internal parts of the human body for the purpose of diagnosing diseases and ailments. This includes the use of X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound etc. X-ray Technicians provides images of various body organs, to understand patient's health status and provide treatment as needed. They are also taught how to use radio waves to treat various tumors and other cancerous ailments.

SCOPE-

- Government and Private Hospitals
- Diagnostic centres, as well as Super specialty and Multi specialty Hospital
- Cancer units in medical colleges and cancer hospitals.

DIPLOMA COURSES

1. Diploma in Ophthalmic Assistant (DOA):- Avaliable Seats = 20

Ophthalmic Assistant works with an ophthalmologist .They help ophthalmologist care for patients by taking history ,performing various technical procedures ,tests and preparing patients for various medical and surgical procedures. They provide the ophthalmologist with important information to help diagnose and treat patients.

SCOPE-

- Eye Clinical setup , Eye hospital, Medical college, Optical companies

2. Diploma in Dialysis Technician(DDT):- Avaliable Seats = 30

An allied healthcare professional who operates and maintains dialysis machine for patients with kidney diseases. Kidney dialysis makes the difference between life and death for those who suffer from renal failure. These technicians maintain and operate the equipment used for dialysis, a process that cleanses the blood of metabolic waste products.

SCOPE-

- Hospitals, Renal clinics, Medical colleges.

3. Diploma in Radiotherapy Technician (DRT):- Avaliable Seats = 05

Radiotherapy also called as radiation therapy, is the treatment of cancer & other diseases with ionizing radiation. The radiotherapy technician works under oncologist and oncosurgeons and they are responsible for providing a dose of radiotherapy as prescribed.

SCOPE –

- Hospitals with cancer units
- Medical colleges
- Research institutes.

4. Diploma in Cath Lab Technician (DCLT) :- Avaliable Seats = 25

Diploma in Cath Lab Technician is a two years paramedical diploma course. Technicians are trained to assess interventional cariologist in performing diagnostic and therauputic invasive cardiac procedure with the help of cardiac and coronary imaging. The students will be trained to assist Doctor during procedure such as coronary imaging including angiography, IVUS, FFR, perputaneous coronary intervention, rotational atherectomy, peripheral angiography and interventions for structural heart diseases. Students will be able to interpret basic ECG and recognized cardiac arrhythmias.

SCOPE –

Hospitals, Diagnostic Centre, Nursing Home, Cardiac clinic, Medical colleges
Medical Equipment manufacturing company

5. Diploma in Optometric Refraction (DOR):- Avaliable Seats = 20

This course aims to teach students about mainy aspects of eye health, disorders, diagnosis, therapy, psychology, patient management and optometric retail management. The study of refrection optometrics teaches the techniqucs of diagnosing the eye's local condition and correcting it with optical equipment like speatecles or contact lenses. Students learn about eye refraction and how to calclulate the power of eyeglasses or contact lenses, they also learn about visual acuity, retinoscopy, glaucoma etc.

SCOPE –

Eye hospitals
Manufacturing unit for spectacles and contact lenses
Retail and bulk outlet for spectacles or contact lenses

CERTIFICATE COURSES

Certificate in Operation Theater Technician (COT):- Avaliable Seats = 50

An O.T. technician helps in pre – operative care of operation theatre like making the apparatus ready for a particular operation, autoclaving, OT technician are also responsible to make the necessary arrangement during the oeration also.

SCOPE :- Hospitals, Nursing homes, Corporate, Medical colleges etc.

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड,इन्दौर 452001 (म.प्र.)

नियम एवं निर्देश

I. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट
	स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम		
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	4 1/2 वर्षीय	100
2.	बैचलर ऑफ आक्यूपेश्नल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	4 1/2 वर्षीय	40
3.	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन (बी.एक्स.आर.टी.)	3 वर्षीय	25
4.	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (बी.एम.एल. टी.)	3 वर्षीय	50
	डिप्लोमा पाठ्यक्रम		
1.	डिप्लोमा इन आप्थेलमिक असिस्टेन्ट (डी.ओ.ए.)	2 वर्षीय	20
2.	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन (डी.डी.टी.)	2 वर्षीय	30
3.	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन (डी.आर.टी.)	2 वर्षीय	05
4.	डिप्लोमा इन कैथ लेब टेक्निशियन (डी.सी.एल.टी.)	2 वर्षीय	25
5.	डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रीक रिफ्रेक्शन (डी.ओ.आर.)	2 वर्षीय	20
	सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम		
1	सर्टीफिकेट इन ऑपरेशन थियेटर टेक्निशियन (सी. ओ.टी.)	1 वर्षीय	50
		कुल सीट	365

महत्वपूर्णः उक्त पाठ्यक्रमो में अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्त्तीर्ण किये जाने के उपरांत महात्मा महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी संस्था)- इंदौर से सम्बद्ध चिकित्सालयो में आवश्यक इंटरनशिप/क्लीनिकल प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के उपरांत पूर्ण-रूपेण पाठ्यक्रम पूर्ण माना जावेगा, उक्त इंटरनशिप/क्लीनिकल प्रशिक्षण की अवधि बी.पी.टी., बी.ओ.टी. पाठ्यक्रमों के लिये 6 माह की इंटरनशिप एवं अन्य समस्त पाठ्यक्रमों 3 माह का क्लीनिकल प्रशिक्षण होगा। म.प्र.शासन/स्वशासी संस्था द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों में के अनुसार उक्त इंटरनशिप/ क्लीनिकल प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना होगा।

B- प्रवेश हेतु पात्रता

1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त/समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेंडरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा 10+2 भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. आयु सीमाः-पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथी को 17 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए । BXRT तकनीशियन डिग्री और रेडियोथेरेपी तकनीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश के दिन 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी, मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में इंदौर जिले के मूल निवासी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। पाठ्यक्रमों सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदक को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनसुार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य मूल निवासी आवेदक को ही दिया जाएगा।

4. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिये न्यूनतम 40% अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिये 33% अंक निर्धारित है।

5. मेडिकल फिटनेसः– प्रवेश प्रक्रिया के दौरान मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एवं Hepatitis-B Vaccination का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा ।

6. गैप सर्टिफिकेट– यदि आवेदक ने कक्षा 12 वीं वर्ष 2023 से पहले उत्तीर्ण की है, तो उसे नोटोंराईजड गैप सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

7. समस्त दस्तावेजों / अंकसूची प्रमाणपत्र आदि पर आवेदक का नाम समान होना चाहिए, यदि किसी प्रकार की भिन्नता है तो उक्त संबंध में उचित आवश्यक दस्तावेज प्रस्ततु करना अनिवार्य है।

8. नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों (विभागीय कोटा) के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम एवं दिशा निर्देश :–

- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल कर्मचारियों को संस्था में संचालित उनके विभाग से संवंधित पाठ्यक्रम में राज्य शासन के अनुमोदानानुसार कुल सीटो की 10 प्रतिशत सीट आरक्षित है .
- उक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक कार्यरत शासकीय कमर्चारी को प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी (अधिष्ठाता / संयुक्त संचालक / संचालक / प्रमुख / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय) से निर्धारित प्रपत्र में अनमुति / स्वीकृति प्रस्ततु करना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पाठ्यक्रम आवेदक कार्यरत शासकीय कर्मचारी के लिए तथा शासकीय स्वास्थ्य सेवा के संबंधित विभाग में किस तरह उपयोगी है। संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र पृ. क्रमांक 748–51 स्था / अराज / 2007 दिनांक 05–11–2007 के अनुसार यदि संबंधित विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी जवाबदेह होंगे।
- शासकीय कर्मचारियों को नियमित शासकीय स्वास्थ्य सेवा में होना अनिवार्य है तथा नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है, अर्थात् डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 8 वर्ष, डिप्लामो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
- पाठ्यक्रम चयन हेतु कक्षा 12 वी के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्राप्तांको के अनुसार प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कायानुंभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किया जावेंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेंगा। (अधिकतम 20 अंक)
- बहु–उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM) के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियो को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है ।
- संबंधित कर्मचारी का उक्त पाठ्यक्रम के चयन होने पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
- सक्षम अधिकारी प्रवेश विवरणिका के अवलोकन उपरांत ही सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों के आवेदन अग्रेषित करें, एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन पत्र भेजेने में प्राथमिकता दी जावे। पाठ्यक्रम के आवंटन प्रवेश पत्र जारी होने पर ही कर्मचारी को अध्ययन हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- अनापत्ति प्रमाणपत्र व अनुमति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी आवेदन प्रोफार्मा प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मचारी हेतु) में बिंदु क्रमांक 2 में यह दर्ज करें की अनमुति / अनापत्ति प्रमाण पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणिका के दिशा निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान कर रहे है।
- सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अन्य आवेदक विद्यार्थियो की तरह समस्त शुल्क देय होंगे एवं उनको भी अन्य आवेदकों की तरह सीट लिविंग बॉन्ड निष्पादित करना होगा। विभागीय शासकीय कर्मचारियों विश्वविद्यालय / परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (स्वसाशी संस्था) –इंदौर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में अन्य छात्रों की तरह 03 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय / परिषद की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत अपने मूल विभाग में उपस्थित होंगे तथा परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के पश्चात 3 माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण इसी संस्था में पूर्ण करनी होगी।

पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

C- सीटों का आरक्षण-म.प्र.राज्य शासन के नियमानुसार पाठ्यक्रमों में आरक्षित श्रेणीयो के आवेदकों हेतु निम्नानुसार सीटें आरक्षित हैं : -

अनुसूचित जनजाति - 20 प्रतिशत

अनुसूचित जाति - 16 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग - 14 प्रतिशत

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु सीटे - 10 प्रतिशत

- ❖ Subjected to Rules/Orders of M.P. Govt./M.P. Paramedical Council, Bhopal

PwD- Physically Handicapped (Divyang)
MP- Military Personnel,
FF- Freedom Fighter
IS-In Service Candidate (विभागीय कर्मचारियों हेतु)
EWS – Economically weaker section

S. N.	Course	Duration	Unreserved						Schedule Caste					Schedule Tribes					OBC					Total
0.			Open	PwD	MP	FF	IS	EWS	Open	PwD	MP	FF	IS	Open	PwD	MP	FF	IS	Open	PwD	MP	FF	IS	
1.	BPT	4½ Yrs	37	1	1	1	0	10	14	0	1	1	0	18	1	0	1	0	12	1	1	0	0	100
2.	BOT	4½ Yrs	15	0	0	1	0	4	5	1	0	0	0	7	0	1	0	0	6	0	0	0	0	40
3.	BXRT	3 Yrs	8	1	0	0	1	3	3	0	1	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	0	1	25
4.	BMLT	3 Yrs	17	0	1	0	2	5	7	0	0	0	1	8	1	0	0	1	5	0	0	1	1	50
5.	DDT	2 Yrs	10	0	1	0	1	3	3	0	0	1	1	4	1	0	0	1	3	0	0	0	1	30
6.	DOA	2 Yrs	6	1	0	0	1	2	2	0	1	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	1	20
7.	DRT	2 Yrs	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	05
8.	DCLT	2 Yrs	8	0	0	1	1	3	3	0	1	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	25
9.	DOR	2 Yrs	7	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	20
10.	COT	1Yr.	17	0	0	1	2	5	6	0	1	0	1	8	1	0	0	1	6	0	0	0	1	50
																							Total Available Seats		**365**

नोट : संस्था द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रमों एवं सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 33% सीट महिलाओं के लिये एवं 3% प्रतिशत सीट स्वतंत्रता सेनानी तथा सैनिक संवर्ग के लिए आरक्षित हैं।

PwD – Physically Handicapped (Divyang) / दिव्यांग –

- ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के हैं, उनके लिए उनके सम्वन्धित संवर्ग में 3% सीट नियमानुसार आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।
- दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु केवल पैर की शारीरिक विकलांगता (कूल्हे के जोड़ से पैर तक) में 50 से 70 % दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होगें।
- 50 से 70 % (PwD -1) प्रतिशत की विकलांगता के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर 40 से 50 % दिव्यांगता (PwD -2) के आवेदक पात्र होगें।
- आवेदक को अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पुर्नवास केन्द्र के द्वारा जारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की निम्नलिखित श्रेणियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगीः–
  1. हाथ की विकलांगता
  2. अंधापन
  3. बहरापन
  4. पैरों की 70 % से अधिक विकलांगता

⇨ पाठ्यक्रमो का नाम

- BPT- बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)
- BOT- बैचलर ऑफ आक्यूपेश्नलथेरेपी (बी.ओ.टी.)
- BXRT- बैचलर ऑफ एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन
- BMLT- बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी
- DDT - डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन
- DOA - डिप्लोमा इन आप्थेलमिक असिस्टेन्ट
- DRT - डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन
- DCLT- डिप्लोमा इन कैथ लेब टेक्निशियन
- DOR- डिप्लोमा इन आप्टोमेट्रींक रिफ्रेक्शन
- COT- सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन

D. चयन प्रक्रिया

1. पाठ्यक्रमों में चयन हायर सेकेंडरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा 10+2 भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर होगा।

2. मैरिट सूची में अंको की समानता की दशा में म.प्र. के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। म. प्र. के मूल निवासी से भिन्न आवेदकों को हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा में अर्जित अंको के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

3. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेशित आवेदकों को संस्था में अपने मूल दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसे पाठ्यक्रम के सफल समापन और नो ड्यूज (No Dues) सर्टिफिकेट जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि आवेदक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पश्चात, बिना पाठ्यक्रम पूर्ण किये पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसे संस्था को सीट लीविंग बंध (बांड) की राशि का भुगतान करना होगा।

E. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया : –

1. निर्धारित तिथि पर पाठ्यक्रम चयन/प्रवेश हेतु सभी आवेदकों को व्यक्तिगत रुप से संस्था में उपस्थित होना होगा। उपलब्ध सीटो के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
2. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मलित होने हेतु पृथक से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जावेगा, आवेदक संस्था के नोटिस बोर्ड/संस्था की वेबसाइट www.mahsimgm.in पर प्रकाशित किये जाने वाले दिशा–निर्देश/ सुचना/ मेरिट लिस्ट/प्रावीण्य सूची आदि का अवलोकन करते रहे एवं प्रवेश हेतु उक्तानुसार पालन करना सुनिश्चित करे ।
3. प्रवेश हेतु जारी प्रावीण्य सूचि के अनुसार निर्धारित तिथियों पर काउन्सलिंग प्रक्रिया में आवेदक को प्रवेश– समिति के समक्ष वरीयता क्रमांक के अनुसार तत्समय उपलब्ध पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीट पर प्रवेश हेतु वांछित मूल–दस्ताबेज एवं निर्धारित शिक्षण व् अन्य शुल्क प्रवेश के दौरान ही जमा करवाने होंगे, अन्यथा आवेदक का प्रवेश सम्वन्धी अधिकार / दावा स्वयमेव समाप्त हो जावेगा ।
4. पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसलिंग के दिन समस्त मूल प्रमाण–पत्रों तथा प्रथम वर्ष हेतु एकमुश्त निर्धारित शुल्क (फीस) के साथ में संस्था में नियत समय पर स्वयं आवेदक को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
5. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मलित होने के लिये पृथक से काउन्सलिंग शुल्क नॉनरिफेण्डबल राशि रु. 600/– काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान जमा करवाना अनिवार्य है। भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।
6. <u>प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज जमा करवाने होंगे –</u>

⇒ कक्षा 10 वीं की मूल अंकसूची (यदि 10वीं कक्षा की मार्कशीट में जन्मतिथि अंकित नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं)
⇒ कक्षा 12 वीं (10+2) की मूल अंकसूची
⇒ स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.)
⇒ माइग्रेशन सर्टिफिकेट (बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)
⇒ नवीनतम आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति
⇒ मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/स्व–घोषित)
⇒ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
⇒ Hepatitis-B Vaccination सर्टिफिकेट
⇒ समग्र आय.डी. की अभिप्रमाणित छायाप्रति
⇒ जाति प्रमाण–पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)
⇒ आय प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा 1 अप्रैल 2023 कि स्थिति में जारी (आरक्षित वर्ग के लिए)
⇒ यदि लागू हो तो :– दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/सैनिक का प्रमाणपत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
⇒ सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
⇒ गेप सर्टिफिकेट (यदि 12 वीं कक्षा वर्ष 2023 से पहले उत्तीर्ण की है)
⇒ सर्टिफिकेट/मार्कशीट/अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्न होने की स्थिति में संबंधित वैध दस्तावेज। समस्त मूल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में एवं दो सेट छायाप्रतियों में जमा करवाना अनिवार्य है।

नोटः– प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मूल दस्तावेज आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त लेखा शाखा, पुस्तकालय, खेलकूद, होस्टल, प्रयोगशााला, एवं अन्य संबंधित विभागो आदि से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करने के उपरान्त की लौटाये जावेगे।

7. प्रवेश हेतु काउंसलिंग निम्न अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट–कम–ऑप्शन के आधार पर आयोजित की जाएगी–
   I- एसटी श्रेणी II- एससी श्रेणी III- ओबीसी श्रेणी IV- अनारक्षित श्रेणी (EWS) आरक्षण भी सम्मिलित)
8. यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो उपलब्ध रिक्त सीटों को अन्य श्रेणी के आवेदकों को निम्नानुसार प्रवेश दिया जाएगा :–

⇨ अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की रिक्त सीटों को अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के उपलब्ध आवेदकों को प्रवेश हेतु
⇨ अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की रिक्त सीटों को अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उपलब्ध आवदकों को प्रवेश हेतु

⇨ यदि अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणियों में आरक्षण सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो, रिक्त सीटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उपलब्ध आवेदकों को प्रवेश हेतु

⇨ यदि पात्र अभ्यर्थी उपराक्ते तीनो आरक्षित श्रेणियों उपलब्ध नहीं हैं तो, रिक्त सीट को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को प्रवेश हेतु

⇨ यदि PHC (दिव्यागं), MP (सैन्य कर्मी), FF (स्वतत्रं ता सेनानी), इन–सर्विस, EWS श्रेणियों में योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं तो, रिक्त सीटों को संबंधित मूल श्रेणी के उपलब्ध आवेदकों को प्रवेश हेतु

9. एसटी / एससी / ओ.बी.सी. वर्ग से उम्मीदवार, जिनका नाम उनकी श्रेणी के मेरिट / प्रतीक्षा सूचि के साथ–साथ अनारक्षित सूचि में भी दर्शाया गया है, उनके पास काउंसलिंग के दौरान विकल्प होगा कि वह उनकी अपनी श्रेणी अथवा अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश ले सकते हैं ।
10. प्रवेश हेतु काउंसलिंग के प्रथम चरण में किसी पाठ्यक्रम में सीट रिक्त रहने की अवस्था में आवश्यकता अनुसार पृथक से द्वितीय काउंसलिंग आयोजित की जा सकेगी , जिसकी सूचना एवं वरीयता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड एवं वेब साइट पर किया जावेगा।
11. आवेदक द्वारा काउंसिलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित (बदलाव) नहीं किया जावेगा।
12. किसी भी आवेदक को प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

F. फीस संरचना (Fees Structure):–

सत्र 2023–24 हेतु शुल्क का विवरण म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ / 5–14 / 18 / 1 / 55 / चि.शि. भोपाल दिनाकं 24 मई 2018 के की कंडिका 2 के परिपालन में रजिस्ट्रार म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद् के पत्र क्र. F–26 / कॉलेज–2020–2021 / 3015 / 2020 भोपाल दिनांक 16–10–2020 के अनुसार सत्र 2023–24 हेतु देय शुल्क का विवरण :–

क्र.	शुल्क का विवरण	स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम	दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु	एकवर्षीय प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
1.	शिक्षण शुल्क	रू. 80,020 / –	रू. 51,460 / –	रू. 37,160 / –
2.	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य) ⫼	रू. 5,000 / –	रू. 5,000 / –	रू. 5,000 / –
3.	विकास शुल्क	रू. 4,000 / –	रू. 4,000 / –	रू. 4,000 / –
प्रवेश के समय प्रथम वर्ष हेतु कुल शुल्क राशि रु.		रू. 89,020 / –	रू. 60,460 / –	रू. 46,160 / –
द्वितीय वर्ष एवं आगामी कक्षा हेतु कुल शुल्क राशि रु.		रू. 84,020 / –	रू. 55,460 / –	––

नोटः ⫼. सुरक्षा निधि राशी रु. 5000 / – प्रवेश के समय देय होगी, जोकि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरातं अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छात्र को वापस लौटा दी जावेगी। अपूर्ण पाठ्यक्रम छोड़ने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

– शासकीय कर्मचारी आवेदकों को भी अन्य छात्रों की तरह प्रवेश के समय एवं समय–समय पर लागू समस्त शुल्क देय होंगे – राज्य शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष राशी रु. 7.4 % की स्वतः बढोत्तरी होगी।

– छात्र के पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार लागू होने वाले समस्त शुल्क देय होंगे।

❖ पाठ्यक्रम शुल्क– आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र (क्र. / पोमेछा / परिपत्र / 2004–05 / 3726 दि. 20.07.2004 एवं कलेक्टर इंदौर कायार्लय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर के पत्र क्रमांक / पोमेछा / परिपत्र / 2012–13 / 3660 इंदौर दिनांक 02–07–2012 के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने माता / पिता / पालक का सयुंक्त आय प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी का प्रमाण–पत्र, छात्रवृत्ति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपि में प्रस्तुत करना होगी।

शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु :–

1. समस्त श्रेणी के आवेदकों को स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का निर्धारित प्रथम वर्ष का शुल्क काउसंलिंग के समय अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क एक मुश्त नगद / डीडी / बैंकर्स चेक के माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय (काउंसलिंग के दौरान) संस्था के बैंक खाते 39938620715 (MAHSI), भारतीय स्टेट बैंक, एमवाय.एच. परिसर शाखा के बैंक खाता में जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत ही पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित होगा।
2. <u>सीट लीविंग बांड</u> :– डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को संस्था MAHSI अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम बी.पी.टी. एवं बी.ओ.टी. पाठ्यक्रम हेतु रु. 275000 / – बी. एक्सआर.टी, बी.एम.एल.टी., पाठ्यक्रम हेतु रू. 175000 / – एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमो हेतु रू. 75000 / – का बॉड रू. 500 के स्टाम्प पर निष्पादित कर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जमा करवाना अनिवार्य है।

3. संस्था में समस्त पाठ्यक्रम स्व–वित्तीय आधार पर संचालित है, अतः समस्त श्रेणी के आवेदकों/इन–सर्विस केंडिडेट्स को निर्धारित समस्त शिक्षण और अन्य शुल्कों का भुगतान प्रवेश के समय एवं तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर करना होगा, संस्था में जमा किये गए शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे।

4. आरक्षित श्रेणीः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र, आदिवासी कल्याण विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मप्र राज्य सरकार को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जावेगी। उक्त आवेदक का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बैंक खाता होना अनिवार्य है।

5 छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले / समय–समय पर जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छात्र निर्धारित समय में कॉलेज की फीस जमा करने में विफल रहते हैं, तो विलम्ब शुल्क रू. 20/– प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।

6. यदि विद्यार्थी को खराब आचरण, गैर– कानूनी/असामाजिक गतिविधियों ,नियमो के उलंघन एवं अन्य किसी कारणवश संस्था से निष्काषित किया जाता है अथवा विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छोड़ता है, तो संस्था में जमा किये गए किसी भी प्रकार के शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे एवं निर्धारित सीट लीविंग बांड राशि का भुगतान करना होगा।

7. संस्था द्वारा कंप्यूटर, स्टेशनरी, खेलकूद, पत्र–पत्रिकाएं आदि के लिए शुल्क लागू किए जा सकते हैं जोकि छात्र द्वारा देय होंगे।

8. छात्र के किसी भी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक/सप्लीमेंटरी परीक्षा में सम्मिलित होना होगा एवं विश्वविद्यालय को निर्धारित शुल्क जमा करवाने होंगे। छात्र के अनत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम कि अवधि निर्धारित अवधि से अधिक हो जाने पर छात्र को परीक्षा शुल्क सहित विस्तारित अवधि के लिये निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

G. प्रवेश निरस्तीकरण नियम/प्रक्रियाः –

1. यदि यह पाया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार ने तथ्यों को छिपाकर/गलत दस्तावेज/गलत अधूरी जानकारी के आधार पर संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है अथवा त्रुटिवश आवेदक को प्रवेश दे दिया गया है , ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा अध्ययन अवधि के दौरान बिना किसी भी पूर्व सूचना के प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। उक्त सम्वन्ध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. प्रवेश दिवस के 15 दिनों के भीतर विद्यार्थी को सम्बन्धित विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने कि स्थिति में संबंधित अधिकारी के माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

3. यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के लगातार 07 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश स्वतः रद्द माना जाएगा। अनुपस्थिति की इस अवधि को विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा।

4. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, संस्थान परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के कदाचार में भाग लेता है, अनाधिकृत/अस्वीकृत गैर–शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है, संकाय सदस्य, विघार्थी , मरीज एवं परिजनों के साथ दुर्व्यवहार रैगिंग आदि में संलिप्त पाए जाने पर संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र–छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेश निरस्त कर सकते है उक्त आशय का आवेदक एवं अभिभावकों द्वारा संयुक्त वचन पत्र प्रवेश के दौरान प्रस्ततु करना होगा।

5. **आवेदक/विद्यार्थी द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण :–** यदि आवेदक/विद्यार्थी काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मलित होकर निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत/ पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है, तो उक्त संबंध में निर्धारित सीट लीविंग बांड कि राशि नगद/डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से संस्था के बैंक खाते 39938620715 (MAHSI), भारतीय स्टेट बैंक, एम.वाय.एच. परिसर शाखा के बैंक खाता में जमा करवाया जाकर शुल्क कि रसीद कि मूल प्रति के साथ मय शपथ पत्र के प्रवेश निरस्तीकरण हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर को प्राचार्य, MAHSI के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अधिष्ठाता महोदय के अनमोदन उपरातं ही सम्वन्धित का प्रवेश निरस्त कर संस्था में प्रवेश के दौरान जमा किये गए मूल दस्ताबेज सम्वन्धित/अधिकृत व्यक्ति को लोटाये जावेंगे।

H. दस्तावेजों का सत्यापन :–

प्रवेश के दौरान विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्ताबेजों के सत्यापन कि यदि आवश्यकता होती है तो सम्वन्धित जारीकर्ता विभाग / अधिकारी को प्रेषित कर दस्ताबेजों का सत्यापन करवाया जावेगा , उक्त सत्यापन में व्यय होने वाली राशि विद्यार्थी द्वारा वहन कि जावेगी।

1. छात्रावास सुविधाः – छात्रावास सुविधा केवल कन्या छात्राओं के लिए ही उपलब्ध है, वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल परिसर में नवनिमिर्त 312 बिस्तरीय MAHSI कन्या छात्रावास में प्रवेशित छात्राओं के आवास की सुविधा देय पृथक से हॉस्टल शुल्क राशी रु. 20000/– प्रति वर्ष के भुगतान (भोजन/ मेस शुल्क व्यवस्था अतिरिक्त देय) पर उपलब्ध है । छात्रावास की सुविधा गर्ल्स हॉस्टल में सीटों की उपलब्धता के आधार पर संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क के भगुतान पर उपलब्ध होगी ।

J. विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता :–

1. संस्था की गरिमा बनाये रखने हेतु समस्त विद्यार्थियों से अनुसाशन, उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अतः अनुशासित रहकर संस्था के नियमो का पालन करना अनिवार्य है।

2.विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,जबलपुर/मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद्, भोपाल/महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वशाषी संस्था–इंदौर/MAHSI द्वारा जारी समस्त नियम–नियमाकुल, पत्र–परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान समस्त सैद्धांतिक (थ्योरी), प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य है, सैद्धांतिक (थ्योरी) कक्षाओं में 75% एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाओं में 85% उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं की उपस्थिति की गणना पृथक–पृथक की जावेगी। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओ में सम्मलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिससे उसकी पाठ्यक्रम अवधि बढ़ जावेगी। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु सम्वन्धित विभागों द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृति एवं शुल्क–प्रतिपूर्ति हेतु सम्वन्धित विद्यार्थियों का आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकेगा।

3.विद्यार्थियों द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित उपस्थिति के सम्वन्ध में ''<u>जीरो टॉलरेंस नीति</u> '' का पालन करना होगा,उक्तानुसार यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति पर अभिभावकों को सूचित किया जावेगा, तदोउपरांत भी विद्यार्थी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति की जाती है तो संबंधित विद्यार्थी को संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा एवं संबंधित का नामांकन रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा।

4.छात्र को अध्ययन के दौरान अस्पताल, क्लिनिक या व्यक्तिगत परामर्श में किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस में शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और नामांकन रद्द करने के साथ–साथ संस्था से निष्कासन भी किया जाएगा।

5. अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निर्धारित उपस्थिति से 5% तक कम उपस्थिति होने की दशा में परीक्षाओ में सम्मलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोषजनक कारण होने पर ही परीक्षा में सम्मलित करने हेतु अनुशंसा की जा सकेगी।

6. समय–समय पर विद्यार्थी एवं अभिभावक , विद्यार्थी की उपस्थिति एवं अध्ययन के सम्वन्ध में अवलोकन करते रहे।

7.कक्षा/लैब/विभाग एवं संस्था में डिग्री (बीपीटी,बीओटी) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफेद एवं अन्य डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नीला एप्रेन (लैब कोट) पहनना अनिवार्य होगा। समस्त छात्रो को संस्था परिक्षेत्र में निर्धारित एप्रन मय नाम पट्टिका एवं संस्था द्वारा प्रदत पहचान पत्र/आयडेंटिटी कार्ड पहनकर ही प्रवेश करना होगा अन्यथा संबधित छात्र से प्रति दिवस रू 50/– अर्थदंड वसूल किया जावेगा।

8. संस्था में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरांत किसी भी कारण से किसी अन्य महाविघालय/विश्वविघालय में स्थानांतरण प्रदान नहीं किया जावेगा। इसी प्रकार अन्य महाविघालय/विश्वविघालय के छात्र को स्थानांतरण द्वारा संस्था में प्रवेश पात्रता नहीं होगी।

9.फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरपी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत 06 माह की अनिवार्य इंटर्नशिप महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से सम्वद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करनी होगी, तदोपरांत इंटर्नशिप प्रमाण–पत्र जारी होने पर ही सम्वन्धित विद्यार्थी को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,जबलपुर (म.प्र.) द्वारा डिग्री प्रदान की जावेगी।

10. BXRT, BMLT एवं विभिन्न डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से सम्वद्ध चिकित्सालयों में 03 माह की क्लीनिकल पोस्टिंग (क्लीनिकल कार्य) पूर्ण करना अनिवार्य है।

11. डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप/क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्ण करने के उपरांत ही सम्वन्धित को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ,जबलपुर द्वारा डिग्री/ डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम एवं क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल द्वारा सम्वन्धित पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट जारी किया जावेग।

12.पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी एवं सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी को एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है।

सूचनाः – प्रवेश नियम–प्रक्रिया में संशोधन के सभी अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं, भविष्य में किए जाने वाले परिवर्तन आवेदक छात्र पर लागू होंगे। समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में न्याय एवं परिवाद परिक्षेत्र इंदौर होगा।

काउन्सलिंग :– काउसिलिंग निधारिंत तिथियों पर जिनकी घोषणा संस्था की वेबसाइट पर की जावेगी तिथियों पर प्रातः 09.00 बजे से निम्नानुसार क्रम में प्रावीण्य सूची एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश हेतु आयोजित की जावेगी। काउसिलिंग का क्रम निम्नानुसार होगा :–

1.सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी श्रेणी

2.अनुसूचित जनजाति

3. अनुसूचित जाति

4.अन्य पिछड़ा वर्ग

5. अनारक्षित, EWS आरक्षित वर्ग एवं शेष रिक्त सीटों पर

नोट : 1. उपरोक्त श्रेणियों में उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त सीट की पूर्ति म.प्र. शासन के प्रवेश नियम अनुसार की जावेगी। आरक्षित श्रेणियों (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग) में उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सीटों की पूर्ति अनारक्षित वर्ग से की जा सकेगी।

2. मिलिट्री पर्सन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त सीटों की पूर्ति जिस श्रेणी से उक्त सीटे आवंटित है उसी श्रेणी के आवेदको को प्रवेश दिया जा सकेगा।

5. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रथम चरण में यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो द्वितीय चरण की काउसलिग हेतु मेरिट सूची वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर प्रसारित की जावेगी।

एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)
शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था),ए.बी.रोड़, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.)

शपथ पत्र

(प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र एवं अभिभावक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

मै.. पिता..निवासी........ .... संस्था एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट ;ड।भ्ैद्ध शासकीय महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था),ए.बी.रोड़, इन्दौर में सत्र 2023–24 में पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहा /रही हूं एवं शपथ पूर्वक कथन करता/ करती हूं कि : –

1. मै महाविद्यालय के सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं मध्यप्रदेश सह चिकित्सा परिषद् भोपाल एवं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में नामांकन शुल्क जमा करवाकर नामांकन करवाऊंगा/करवाउंगी एवं नामांकन शुल्क जमा करवाने एवं मूल दस्तावेज जमा करवाने के आभाव में नामांकन नहीं हो पाता है तो संस्था पर उक्त सम्बन्ध में कोई दावा/क्लेम नहीं किया जा सकेगा।
2. मै मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की जीरो टोलरेंस पॉलिसी का सख्ती से पालन करूंगा / करूंगी। इस पॉलिसी के अनुसार मेरी उपस्थिति थ्योरी क्लासेस में 75 प्रतिशत और प्रायोगिक कक्षाओं में 85 प्रतिशत होनी चाहिए। निर्धारित उपस्थिति के आभाव में संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मलित नहीं किया जा सकेगा एवं यदि लागू हो तो मध्यप्रदेश राज्य शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओ के लाभ से वंचित किया जा सकेगा जिसका संस्था/संबंधित विभाग पर किसी प्रकार का दावा/ क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।
3. रैगिंग या रैगिंग संबंधित मामलो में संलिप्त पाए जाने पर संस्था द्वारा अनुशंसनात्मक कार्यवाही कर संस्था से निष्काशन एवं पुलिस विभाग में रिपोर्ट दर्ज करायी जा सकेगी।
4. म.प्र. राज्य शासन, म.प्र. सह चिकित्सा परिषद् भोपाल, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी एवं संस्था MAHSI के समस्त नियम, नियमकूल एवं दिशा निर्देशों का पालन करने का वचन देते है।
5. शासन, संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा लागू समस्त शुल्कों का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित समय अवधि में किया जावेगा किसी भी प्रकार के विलम्ब की दशा में लागू दंड हमारे द्वारा देय होंगे।
6. छात्र अध्ययन के दौरान किसी भी असामाजिक, अवांछनीय, अनाधिकृत, गैर शैक्षणिक गतिविधि या गुंडागर्दी में भाग नहीं लेंगे, यदि ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और संस्थान से निष्कासन के साथ–साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
7. छात्र सभी नियमों और विनियमों का पालन करेंगे और संस्था के अनुशासन–शिष्टाचार को बनाए रखेंगे, हमेशा शिक्षकों, रोगियों, साथी छात्रों का सम्मान करेंगे और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि , दुर्व्यवहार में शामिल नहीं होंगे अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
छात्र का नाम––––––––––––––	अभिभावक का नाम––––––––––	गवाह का नाम–––––––––––
पाठ्यक्रम का नाम–––––––––––	पता–––––––––––––––––	पता––––––––––––––––
दिनांक–––––––––––––––––	मोबाइल न.––––––––––––––	मोबाइल न.–––––––––––––

एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,

(स्वशासी संस्था),ए.बी.रोड़, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.)

फिजियोथरेपी एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सत्र : 2023–24
अभिभावकों की आय का संयुक्त घोषणा–पत्र

(अनसुचित जाती/अनुसूचित जनजाति वं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा के अभिभावकों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

मैं ....शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा व्यवसाय ....है, तथा मेरी वार्षिक आय रु. ....(शब्दो में रु. ....) प्रतिवर्ष है। मेरी पत्नी श्रीमती .... का व्यवसाय .... है एवं वार्षिक आय रु. .... (शव्दो में रु. ....) है।

हमारे परिवार कि कुल बार्षिक आय रु ....शव्दो में रु. ....है।

अथवा

☐ मेरी पत्नी गृहणी है एवं उनकी कोई अतिरिक्त आय नही है।

☐ दोनों कि बार्षिक आय का सक्षम अधिकारी / नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

☐ हम यह भी घोषणा करते है कि उपर्युक्त आय बाबत प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर हमारे पुत्र /पुत्री .... का प्रवेश निरस्त करने का संस्था को पूर्ण अधिकार होगा।

– यदि उक्त त्रुटिपूर्ण आय प्रमाण–पत्र के आधार पर हमारे पुत्र /पुत्री ने शिक्षण शुल्क / स्कालरशिप / रियायत प्राप्त कि होगी तो उक्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क / स्कालरशिप राशि का भुगतान संस्था को हमारे द्वारा किया जायेगा।

पिता के हस्ताक्षर	माता के हस्ताक्षर ....
पूर्ण नाम	पूर्ण नाम ....

जो लागु ना हो, उसे काट देंवे।

एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

शासकीय महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,

(स्वशासी संस्था),ए.बी.रोड़, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.)

सेवारत अभ्यर्थी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृती प्रमाण–पत्र

1. श्री / श्रीमती..पद..
नियुक्ति की दिनांक .... विभाग का नाम ....
को पैरामेडिकल ....पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सहमति दी जाती है।

3. उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा–निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

जारीकर्ता सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं
पद–मुद्रा
(अधिष्ठाता / संचालक / अधीक्षक
प्रमुख / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)
जारीकर्ता अधिकारी का नाम...................................
जारीकर्ता अधिकारी का मोबाइल नं ....
चिकित्सालय / संस्था का नाम................................

नोट – उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संबंधित कर्मचारी / विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जानेवाले शासकीय कार्यो में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण–पत्र संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी (अधिष्ठाता / संचालक / अधीक्षक, प्रमुख / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा–निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात अनुमति / स्वीकृति प्रदान करेंगे।

एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)
शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था),ए.बी.रोड़, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.)
पैरामेडिकल डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023–24

कार्यालयीन उपयोग हेतु	
आवेदन क्रमांक	आवेदन फीस रूपये .... प्राप्त हुई
दिनांक..........................	रसीद क्र. ....

आवेदक का स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ

आवेदन शुल्कः– राशि रू. 800 / – सामान्य वर्ग एवं रू. 500 / – आरक्षित वर्ग (ST,SC,OBC) आवेदक को संस्था में जमा करवा कर रसीद की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा प्रस्ततु आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

नोटः– (1). उक्त आवेदन से मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में काउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश लिया जा सकेगा। भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रमों हेतु पृथक आवेदन प्रस्ततु करने की आवश्यकता नहीं है। (2). काउंसलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान समस्त मूल दस्तावेजों के साथ, दस्तावेजों की 01 सेट फोटोकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सी.डी.में जमा करवानी होगी। (संबंधित पर √ का निशांन लगाये)

1–आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों मे)..2–लिंगः महिला ☐ पुरूष ☐

3–जन्मस्थान————————जिला——————————राज्य—————————राष्ट्रीयता—————

4–जन्म तिथिः—————————— 5–दिनांक 21–12–2023 को आयु..........वर्ष.........माह........दिन..........

6– वर्गः UR☐ST☐ SC☐ OBC☐ 7–Sub-category: PwD ☐ FF ☐MP☐ EWS☐ IS☐

श्रेणी (Category):– अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), स्वतत्रंता सेनानी Freedom Fighter), दिव्यांग (PwD),सैनिक (Military Personnal),ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) इन सर्विस आवेदक (IS)

8–मोबा.नं————————————————9:ई–मेल——————————————————

10.आधार नं———————————————11.समग्र आई.डी नं——————————————

12.परिवार की समग्र आई.डी नं————————————————

13.पिता / पति का नाम——————————————14.माता का नाम ——————————

15.पिता का व्यवसाय—————————————माता का व्यवसाय ————————————

पति / पत्नी का व्यवसाय ——————— एवं परिवार की सम्पूर्ण वार्षीक आय रु. ————————————

16. म.प्र. का मूल निवासी; है ☐नहीं ☐ यदि नही तो मूल निवासी राज्य ——————————————

17. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नम्बर (यदि लागू हो तो) ————————————————————

18. स्थायी पूर्ण पताः——————————————————————————————————

——

19. अभिभावक का पूरा नाम एवं पता ————————————————————————————

———————————————————————— मोबाईल नं————————————————

17. शैक्षणिक योग्यताः–

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हायर सेकेण्डरी 10+2			जीवविज्ञान Biology			
			रसायनशास्त्र Chemistry			
			भौतिकशास्त्र Physics			
			कुल अंक **(PCB)**			
			कुल प्राप्तांक (समस्त विषय)			

18. .निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंः–

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्क्रूटिनी द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी
1.	आवेदन शुल्क (रसीद की मूल प्रति)				
2.	कक्षा 10 वीं की अंकसूची				
3.	कक्षा 12 वीं की अंकसूची				
4.	स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (टीसी)				
5.	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)				
6.	आधार कार्ड				
7.	जन्म प्रमाण–पत्र				
8.	मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/स्व–घोषित)				
9.	मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट				
10.	Hepatitis-B Vaccination सर्टिफिकेट				
11.	समग्र आय.डी.				
12.	जाति प्रमाण–पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)				
13.	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण–पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)				
14.	यदि लागू हो तो – दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/ सैनिक का प्रमाणपत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र				
15.	गेप सर्टिफिकेट (यदि वर्ष 2023 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)				

नोटः सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को आवेदन–पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

1. नियमित सेवानियुक्ति आदेश 2. कार्यभार ग्रहण करने का पत्र (ज्वाईनिंग प्रमाण–पत्र) 3. नियमितीकरण संबंधि आदेश

आवेदन संबंधी घोषणा

मैं आवेदक / आवेदिका विधिवत घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित समस्त जानकारी सत्य एवं सही है

1. इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्ततु कि गई समस्त जानकारीयाँ सही एवं सत्य है।
2. मैं वचन देता /देती हूँ कि यदि संस्था में मुझे प्रवेश मिलता है तो मैं पूर्ण रूप से संस्था में वर्तमान में प्रचलित नियमों एवं दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करूँगा/करूँगी और भविष्य में यदि इन नियमो एवं दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पालन के लिए भी वचनबद्ध हूँ।
3. मैं शपथ पूर्वक यह भी कथन करता / करती हूँ कि संस्था एवं संस्था के बाहर ऐसी किसी भी प्रकार कि असामाजिक गतिविधियो में सम्मिलित नहीं रहूँगा/रहूँगी जिससे संस्था कि साख व प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए।
4. प्रवेश के समय मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ गलत या असत्य पाई जाती है तो संस्था को यह पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि मेरा प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दे । मेरे प्रवेश निरस्तीकरण पर मेरे द्वारा प्रवेश के समय जमा किया गया शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क राजसात करने का संस्था को पूर्ण अधिकार होगा ।
5. मेरे द्वारा संस्था के प्रवेश नियमों एवं दिशा निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है एवं मैं सत्यापित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा जमा किये गये शिक्षण शुल्क आदि की राशि (वापसी योग्य राशि को छोड़कर) वापसी का दावा किसी भी स्थितियों में प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक————————————पिता/माता/पालक के हस्ताक्षर————————————आवेदक के हस्ताक्षर——————————

पिता/पति का नाम ——————————— आवेदक का नाम————————————

एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था),ए.बी.रोड़, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.)

पैरामेडिकल डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023–24

Received admission application Form No…………..from (Name of applicant)…………………………..……on (Date)…………………………for admission in Allied Health Paramedical Degree/Diploma/Certificate Course for session 2023-24.

Receiver's Signature & Name

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र.	सूचना	तिथियां
1.	नियम–निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट www.mahsimgm.in पर उपलब्ध होने की अवधि	21–12–2023 से 22–01–2024 तक
2.	संस्था की वेबसाइट www.mahsimgm.in पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संस्था कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अवधि सायं 4.00 बजे तक)	22–01–2024
3.	प्रावीण्य सूची की घोषणा (वेबसाइट www.mahsimgm.in पर तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर)	27–01–2024
4.	प्रकाशित प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) से संबंधित कोई त्रुटि हो तो लिखित रूप से संस्था कार्यालय अथवा ईमेल आई.डी. www.mahsimgm@gmail.com पर अवगत करवाने की तिथि	29–01–2024
5.	प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रारंभ होने की तिथि (स्नातक/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स)	02–02–2024 से 05–02–2024
6.	प्रवेशित पाठ्यक्रमों में संबंधित विभागों/चिकित्सालयों में नियमित कक्षाएँ प्रारंभ होने की तिथि	12–02–2024